अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण/फैक्स

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

पत्र संख्या:-परिपत्र संख्या- 58/2014 दिनांक:लखनऊ:सितम्बर 15, 2014

सेवा में,

1-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

3-समस्त जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

विषय:- आपराधिक वादों में मा0 न्यायालयों द्वारा निर्गत सम्मन/वारन्ट/82-83, दण्ड प्रक्रिया संहिता के निष्पादन कराने तथा अभियुक्तगण की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में ।

....

उपर्युक्त विषयक परिपत्र संख्या-डीजी-21/2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा न्यायालयों द्वारा निर्गत सम्मन/वारन्ट/82-83 की कार्यवाही का समय से निष्पादन कराने और यदि किसी आदेश के अनुपालन में कोई कठिनाई आ रही हो तो, पर्यवेक्षक अधिकारी इस म्बन्ध में सम्बन्धित न्यायालय से मार्गदर्शन प्राप्त कर उस कठिनाई का निवारण कराने सम्बन्धी निर्देश निर्गत किये गये थे।

2- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन संख्या-26460/2014 अखिलेश पाण्डेय उर्फ अखिलेश कुमार पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य सम्बन्धित मु0अ0सं0 58/2013 धारा 409/120बी भा0द0वि0 थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनाँक 10-9-2014 द्वारा निर्गत किये जाने वाले सम्मन/अधिपत्र तथा गिरफ्तारी अधिपत्रों का अनुपालन/तामीला सुनिश्चित न कराये जाने के सम्बन्ध में घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है । इस मुख्यालय इस सम्बन्ध में समय-समय पर यथोचित निर्देश निर्गत किये जाने के बावजूद मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न किया जाना कदापि उचित नहीं है।

3- अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि मा0 न्यायालयों से जो भी सम्मन/अधिपत्र/82-83 की कार्यवाही एवं गिरफ्तारी अधिपत्र निर्गत किये जाते है उनका शत प्रतिशत तामीला सुनिश्चित कराते हुए अभियुक्तों की मा0 न्यायालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाय और इस कार्य में शिथिलता बरते जाने पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय ।

(ए0एल0 बनर्जी)
पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ।